

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—सुबोधसिंह चारण, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—125/2023 (2023/287) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. मीरादेवी पत्नि धनसिंह रावत निवासी सरेवड़ीकाबाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. उदयसिंह पुत्र विजयसिंह रावत निवासी सरेवड़ीकाबाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. डाली पुत्री लालसिंह रावत निवासी सरेवड़ीकाबाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नेनसिंह पुत्र विजयसिंह रावत निवासी सरेवड़ीकाबाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. पानी पुत्री विजयसिंह रावत निवासी सरेवड़ीकाबाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. रामसिंह पुत्र लालसिंह रावत निवासी सरेवड़ीकाबाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. सोसर पुत्री लालसिंह रावत निवासी सरेवड़ीकाबाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. हगामी पुत्री लालसिंह रावत निवासी सरेवड़ीकाबाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. प्रतापसिंह पुत्र उरजा रावत निवासी सरेवड़ीकाबाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. भंवरसिंह पुत्र उरजा रावत निवासी सरेवड़ीकाबाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. लक्ष्मणसिंह पुत्र उरजा रावत निवासी सरेवड़ीकाबाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. इन्द्रमल पुत्र जेठमल महाजन निवासी सरेवड़ीकाबाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. पारसमल पुत्र जेठमल महाजन निवासी सरेवड़ीकाबाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. रोशनबाई पत्नि जेठमल महाजन निवासी सरेवड़ीकाबाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. रोशनलाल पुत्र भीमराज महाजन निवासी सरेवड़ीकाबाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. मधुदेवी पत्नि गेहरीलाल महाजन निवासी सरेवड़ीकाबाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. सार्वजनिक निर्माण विभाग रायपुर जरिये जूनियर इंजीनियर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपरिस्थित

1. राजकुमार नायक—

प्रार्थी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 21.12.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम सरेवड़ीकाबाड़िया पटवार हल्का सरेवड़ी तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 276 रकबा 0.52 है0, आराजी संख्या 279 रकबा 0.43 है0 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.95 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 44 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते हैं। प्रार्थी ने विपक्षीगण को अन्तिम बार दिनांक 10.06.2023 को कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थी की सादर प्रार्थना



है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 03.08.2023 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 लगायत 10, 16 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। विपक्षी संख्या 17 फोरमल पक्षकार है एव विपक्षी संख्या 11 लगायत 15 के विरुद्ध प्रार्थी अधिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहते है। प्रार्थी खातेदार है और खातेदार अपनी आराजी की पत्थरगढी करवाने के लिये स्वतंत्र है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थी खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

### आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम सरेवड़ीकाबाड़िया पटवार हल्का सरेवड़ी तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एंव कब्जे काश्त की आराजी संख्या 276 रकबा 0.52 है0, आराजी संख्या 279 रकबा 0.43 है0 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.95 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 44 पर दर्ज रेकार्ड है। जिसकी पत्थरगढी कराये जाने हेतु सम्बधित भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुबोधसिंह चारण)  
उपखण्ड अधिकारी

सहायक सचिव जिला न्यायालय रायपुर (पी.ल.वा.डी.)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:-सुबोधसिंह चारण, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-125/2023 (2023/287) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. मीरादेवी पत्नि धनसिंह रावत निवासी सरेवड़ीकाबाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. उदयसिंह पुत्र विजयसिंह रावत निवासी सरेवड़ीकाबाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. डाली पुत्री लालसिंह रावत निवासी सरेवड़ीकाबाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नेनसिंह पुत्र विजयसिंह रावत निवासी सरेवड़ीकाबाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. पानी पुत्री विजयसिंह रावत निवासी सरेवड़ीकाबाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. रामसिंह पुत्र लालसिंह रावत निवासी सरेवड़ीकाबाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. सोसर पुत्री लालसिंह रावत निवासी सरेवड़ीकाबाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. हगामी पुत्री लालसिंह रावत निवासी सरेवड़ीकाबाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. प्रतापसिंह पुत्र उरजा रावत निवासी सरेवड़ीकाबाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. भंवरसिंह पुत्र उरजा रावत निवासी सरेवड़ीकाबाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. लक्ष्मणसिंह पुत्र उरजा रावत निवासी सरेवड़ीकाबाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. इन्द्रमल पुत्र जेठमल महाजन निवासी सरेवड़ीकाबाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. पारसमल पुत्र जेठमल महाजन निवासी सरेवड़ीकाबाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. रोशनबाई पत्नि जेठमल महाजन निवासी सरेवड़ीकाबाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. रोशनलाल पुत्र भीमराज महाजन निवासी सरेवड़ीकाबाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. मधुदेवी पत्नि गेंहरीलाल महाजन निवासी सरेवड़ीकाबाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. सार्वजनिक निर्माण विभाग रायपुर जरिये जूनियर इंजीनियर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 21.12.2023 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम सरेवड़ीकाबाड़िया पटवार हल्का सरेवड़ी तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 276 रकबा 0.52 है0, आराजी संख्या 279 रकबा 0.43 है0 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.95 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 44 पर दर्ज रेकार्ड है।

इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढ़ी अगर प्रार्थी की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 21.12.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।



(सुबोधसिंह चारण)  
उपखण्ड अधिकारी  
रायपुर जिला भीलवाड़ा  
रायपुर (भीलवाड़ा)